

20	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलोजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीसीओ अनारक्षित	(27) (44)	1	अनारक्षित	(18)	0 1	0 एसओसीओ	0 (69)
21	पौडियाट्रिक्स	0	0	0	1 1 1	एसओसीओ अनारक्षित ओपीसीओ	(93) (94) (95)	1 (साइन्ड साइकोलॉजिस्ट) 1 सहायक आचार्य कम लीम फेलाइजिस्ट 1 1 1 1	ईओडब्ल्यूएसओ ईओडब्ल्यूएसओ ओपीसीओ ईओडब्ल्यूएसओ एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ ओपीसीओ	(30) (70) (139) (140) (141) (170) (171)
22	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसओसीओ	(45)	1	एसओटीओ	(47)	1	ओपीसीओ	(71)
23	पैथालोजी	0	0	0	0	0	0	1 1	एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ	(89) (90)
24	फार्माकाताजी	1	एसओसीओ	(49)	1 1	एसओसीओ अनारक्षित	(25) (34)	1 1 1	एसओसीओ एसओसीओ अनारक्षित	(45) (93) (144)
25	फार्मसी	0	0	0	0	0	0	1 1	1 प्रवक्ता फार्मसी 1 प्रवक्ता फार्मसी एसओसीओ	(48) (49)
26	फिजिकल एम्ब मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(46)	1	अनारक्षित	(46)	0	0	0
27	फिजियोलाजी	0	0	0	0	0	0	1 1 1	अनारक्षित अनारक्षित एसओसीओ	(46) (94) (145)
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1 1	अनारक्षित अनारक्षित	(96) (146)
29	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीसीओ	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	एसओटीओ	(147)
30	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1 1 1	एसओटीओ अनारक्षित ईओडब्ल्यूएसओ ओपीसीओ	(97)इ (98) (150) (151)
31	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसीओ	(75)
32	रैडियोलॉजी	1	ओपीसीओ	(37)	1 1 1 1 1 1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसीओ ईओडब्ल्यूएसओ एसओसीओ अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	ओपीसीओ अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एसओसीओ अनारक्षित ओपीसीओ अनारक्षित ओपीसीओ	(37) (38) (56) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (161)
33	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(66)	1 1	ओपीसीओ अनारक्षित	(103) (108)	0	0	0
		20			59			101		

उक्त पदों पर नियमानुसार आच्छादन देय होगा संविदा पर नियुक्ति की राशि निम्नवत है:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,80,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पर हेतु-₹ 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-662/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- घटन से सम्बंधित कालेज से उत्तीर्ण अर्थात् तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थात् को पूर्ववर्ती अर्थात् पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उा प्रो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा पदों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में निर्यात व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीसीओ के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बंधित चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुभव नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं लोक सेवा आयोग से सीधी नहीं के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थात्/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के अन्तर्गत पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह छुट्टी करने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महाविदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई भोजन देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमनिकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारीत नियुक्ति किसी भी एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा हर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह संविदा में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के अन्तर्गत अपने विनियमनिकरण अथवा स्वाधीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुभव होगी।
- अभ्यर्थियों से सम्बन्धित कार्य के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक याद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल उक्त पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- आच्छादन, कर्मिक अनुभव-2, उपाध लक्षणक के कार्यालय प्राप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 19-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आच्छादन का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल कर्मिक आय ₹ 6.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बंधित क्षेत्र के चहसीलदार से अनिन्ध अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एनओएसओ माइड लाइन के अनुसार अनुभव होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का सम्बन्धित होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अर्थात् एनओएसओ/एनएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

331 / तददिनांक

प्रतिनिधि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महाविदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपाध लक्षणक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उपाध।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज कानपुर